DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

7 August, 2024

भारत में अविश्वास कानून (प्रतिस्पर्धा कानून)

संदर्भ: *एक भारतीय स्टार्ट-अप समूह ने गूगल पर ऑनलाइन विज्ञापन में प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार करने का आरोप लगाया है, जिससे नई फर्मों और तकनीकी दिग्गजों के बीच तनाव बढ़ गया है।*

➢ अविश्वास कानून

- **अविश्वास कानून का उद्देश्य:** इसे प्रतिस्पर्धा कानून के रूप में भी जाना जाता है, इसका उद्देश्य व्यापार और वाणिज्य में अनुचित प्रतिबंधों, एकाधिकार और मूल्य-निर्धारण को रोकना है।
- **लक्ष्य** : इसका लक्ष्य खुले बाजार की अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है।
- **भारत का प्रतिस्पर्धा विरोधी कानून:** यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बना है।
- **कानून का स्थान लिया:** इसने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 (एमआरटीपी अधिनियम) का स्थान लिया।
- **निर्माण** : यह परिवर्तन राघवन समिति की सिफारिशों पर निर्मित हुआ।

➢ बाज़ार एकाधिकार:

- यह ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक एकल कंपनी या समूह बाजार या उद्योग के महत्वपूर्ण हिस्से पर हावी होता है।
- इसमें केवल एक विक्रेता या उत्पादक द्वारा उत्पाद या सेवा उपलब्ध कराई जाती है तथा कोई निकट विकल्प नहीं होता।
- एकाधिकारवादी इकाई को बाजार की स्थितियों को प्रभावित करने, कीमतें निर्धारित करने और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त बाजार शक्ति प्रदान करता है।
- **विशेषताएँ** :
  - **एकल विक्रेता या उत्पादक**: इसमें केवल एक ही इकाई किसी उत्पाद या सेवा के अनन्य प्रदाता के रूप में बाजार पर हावी होती है।
  - **प्रवेश में उच्च बाधाएं**: इसमें उच्च स्टार्टअप लागत, विशेष संसाधन, विनियमन या ब्रांड निष्ठा जैसी महत्वपूर्ण बाधाएं नए प्रतिस्पर्धियों को प्रवेश करने से रोकती हैं।
  - **कोई विकल्प नहीं:** इसमें उपभोक्ताओं के लिए सीमित या कोई वैकल्पिक विकल्प नहीं होता है तथा साथ ही कोई करीबी विकल्प भी उपलब्ध नहीं होता है।
  - **बाजार शक्ति और मूल्य नियंत्रण**: एकाधिकार महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा के बिना कीमतों को नियंत्रित कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से कीमतें बढ़ सकती हैं और उत्पादन कम हो सकता है।
  - **आपूर्ति पर प्रभाव**: उत्पादित मात्रा पर नियंत्रण और बाजार की स्थितियों को प्रभावित करने के लिए आपूर्ति को समायोजित करने की क्षमता प्रभावित होगी।
  - **प्रतिस्पर्धा का अभाव**: प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा के अभाव के परिणामस्वरूप नवाचार और दक्षता के लिए प्रोत्साहन कम हो जाता है।

➢ भारत बाज़ार एकाधिकार प्रथाओं से कैसे निपटता है:-

- **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002:**
  - यह भारत में अविश्वास-विरोधी मुद्दों से निपटने के लिए प्राथमिक कानून है।
  - यह बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकना, तथा उपभोक्ता हितों की रक्षा करना।
  - यह प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों, प्रभुत्वशाली पदों के दुरुपयोग पर रोक लगाता है तथा प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाले संयोजनों को नियंत्रित करता है।
- **प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, 2022:**
  - इसका उद्देश्य नियामक ढांचे को मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और प्रतिस्पर्धा कानून प्रवर्तन को बढ़ाना है।
- **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई):**
  - यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत नियामक, प्रतिस्पर्धा कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
  - इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं, प्रभुत्वशाली पदों के दुरुपयोग और प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों की जांच करना और उनके विरुद्ध कार्रवाई करना है।
- **प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण और एनसीएलएटी:**
  - COMPAT प्रारंभ में CCI के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिए जिम्मेदार था, लेकिन 2017 में इसे NCLAT द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।
  - एनसीएलएटी अब प्रतिस्पर्धा मामलों से संबंधित अपीलों को संभालता है।

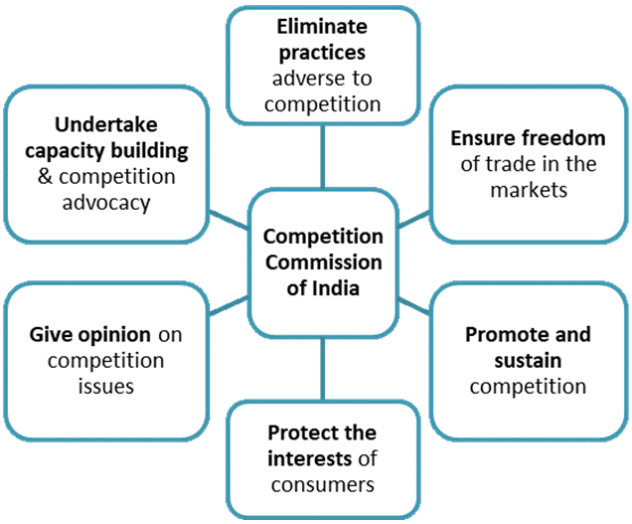

ग्रामीण युवा रोजगार स्थिति रिपोर्ट 2024

संदर्भ *: "ग्रामीण युवा रोजगार रिपोर्ट 2024" से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में कार्यरत 70-85% युवा अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं।*

➢ युवा रोजगार चुनौती:

- **वैश्विक संदर्भ:**
  - विश्व भर में 1.8 बिलियन युवा हैं, इनमें से एक तिहाई स्कूल से बाहर हैं, बेरोजगार हैं या अनौपचारिक नौकरियों में हैं।
  - 90% लोग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में रहते हैं तथा चार में से तीन महिलाएं हैं।
  - युवाओं को स्वचालन, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य संकट, जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- **भारत संदर्भ:**
  - लगभग 378 मिलियन युवा लोग; दो तिहाई ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।
  - ग्रामीण भारत में 70% जनसंख्या निवास करती है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान केवल 46% है, तथा लगभग 80% लोग कृषि में कार्यरत हैं।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- ग्रामीण युवाओं में क्षमता तो है लेकिन वे अक्सर आर्थिक विकास से कटे रहते हैं।

➢ **रिपोर्ट की मुख्य जानकारी:**

- **कार्यबल भागीदारी:**
  - आधे से अधिक युवा पुरुष (18-25 वर्ष) कार्यरत हैं, इसी आयु वर्ग की केवल एक-चौथाई महिलाएं ही कार्यरत हैं।
  - वृद्ध पुरुष (26-35) 85% रोजगार दर्शाते हैं; वृद्ध महिलाएं केवल 40% रोजगार दर्शाती हैं।
  - कई लोगों के लिए प्राथमिक आय का स्रोत कृषि उपज है, दैनिक मजदूरी और व्यापार से आय गौण है।
- **आकांक्षात्मक कार्य:**
  - 70से 85 प्रतिशत वर्तमान कर्मचारी परिवर्तन चाहते हैं तथा छोटे व्यवसायों, वेतनभोगी नौकरियों और व्यावसायिक व्यापारों को प्राथमिकता देते हैं।
  - युवा महिलाएं (18-25) सरकारी नौकरी पसंद करती हैं, अधिक उम्र की महिलाएं (26-35) स्वरोजगार की ओर झुकाव रखती हैं।
  - गैर-कामकाजी युवाओं का एक महत्वपूर्ण अनुपात (95%) काम की तलाश में है तथा कुछ में काम करने की कोई आकांक्षा नहीं दिखती।
- **रोजगार में बाधाएं:**
  - **प्रमुख चुनौतियाँ:** वित्तीय सहायता का अभाव, सीमित अवसर, नैतिक समर्थन का अभाव है।
  - युवतियों ने बताया कि अवसरों के बारे में जागरूकता और पारिवारिक सहयोग के मामले में उन्हें अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **सहायता की आवश्यकताएँ:**
  - युवा व्यावसायिक प्रशिक्षण से परे भी समर्थन चाहते हैं साथ ही परिवार का समर्थन, मार्गदर्शन, सलाह और वित्तीय पहुंच का भी समर्थन चाहते हैं ।
  - व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रारंभिक पूंजी और कार्यशील पूंजी महत्वपूर्ण हैं । व्यावसायिक श्रमिकों को वित्त, कौशल और प्रौद्योगिकी उन्नयन की आवश्यकता होती है।
  - महिलाओं में सरकारी कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता अधिक है तथा निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रशिक्षण अधिक प्रचलित है।
- **कार्य प्राथमिकताएं:**
  - 60% से अधिक पुरुष और 70% महिलाएं कम आय होने पर भी स्थानीय कार्य को प्राथमिकता देते हैं; आय संबंधी आकांक्षाएं व्यापक रूप से भिन्न होती हैं।
- **उद्यमिता:**
  - औपचारिक नौकरियों की कमी के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियों में कौशल, बीज पूंजी और स्टार्टअप ज्ञान की कमी शामिल है।
  - उद्यमिता में सफल होने के लिए युवाओं को गहन समर्थन की आवश्यकता है।
- **कृषि:**
  - कम उत्पादकता और लाभ के कारण इसे आकांक्षात्मक नहीं माना गया है।
  - युवाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, फसल विविधीकरण और गुणवत्तापूर्ण इनपुट तक पहुंच की आवश्यकता है।

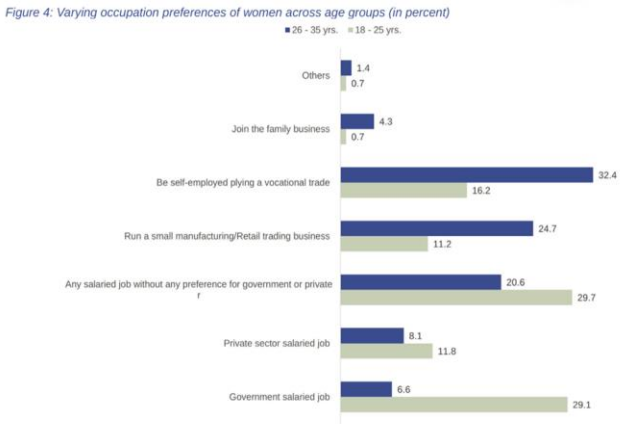

➢ **सिफारिशें और आगे की राह:**

- **स्थान-आधारित दृष्टिकोण:**
  - जिला स्तरीय आर्थिक विकास और श्रम अवशोषण पर ध्यान केंद्रित करना।
  - युवाओं को अपने गांवों के करीब रखने का लक्ष्य, साथ ही यदि वांछित हो तो प्रवास के अवसर पैदा करना।
- **कार्यान्वयन:**
  - हाल ही में झारखंड के रामगढ़ और मध्य प्रदेश के बड़वानी में परीक्षण किया गया, जिससे 50,000 से अधिक युवाओं को लाभ हुआ।
  - पंद्रह नए जिलों तक विस्तार करना तथा 2030 तक 100 ग्रामीण जिलों तक पहुंचने का लक्ष्य रखना।

भारत की शरणार्थी नीति

संदर्भ: *हाल ही में सरकार के पतन से यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि भारत को अपने पूर्वी पड़ोस में सत्ता संरचना में परिवर्तन पर किस प्रकार प्रतिक्रिया देनी चाहिए।*

➢ **विशिष्ट कानून का अभाव:**

- शरणार्थियों की बढ़ती संख्या के बावजूद भारत में समर्पित शरणार्थी कानून का अभाव है।
- भारत 1951 के शरणार्थी सम्मेलन या 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किया है, जो शरणार्थी संरक्षण के लिए प्रमुख कानूनी दस्तावेज हैं।
- विदेशी अधिनियम, 1946 शरणार्थियों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर विचार नहीं करता है तथा विदेशी नागरिकों को निर्वासित करने के लिए केन्द्र सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है।

➢ **ऐतिहासिक संदर्भ:**

- औपचारिक शरणार्थी कानूनों के अभाव के बावजूद भारत में विदेशी लोगों और संस्कृतियों को आत्मसात करने की मजबूत परंपरा रही है।
- भारतीय संविधान विदेशी नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान का सम्मान करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य (1996) में पुष्टि की है कि गैर-नागरिकों को समानता और जीवन के अधिकार सहित कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

7 August, 2024

➢ **गैर-वापसी का सिद्धांत:**

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में गैर-वापसी का सिद्धांत शामिल है, जो उत्पीड़न से बचने वाले व्यक्तियों को उनके मूल देश में लौटने के लिए मजबूर करने से रोकता है।

➢ **शरणार्थी कानून के अभाव के कारण:**

- **शरणार्थी बनाम अप्रवासी:** शरणार्थियों और आर्थिक अप्रवासियों के बीच का अंतर अक्सर कम होता है। भारत में ज़्यादातर बहस शरणार्थियों की सुरक्षा के बजाय अवैध अप्रवास पर केंद्रित होती है।
- **कानून का दुरुपयोग:** चिंता है कि शरणार्थी कानून का राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है, जिससे वित्तीय बोझ बढ़ सकता है।
- **लचीलापन:** विशिष्ट कानून के अभाव में भारत को रोहिंग्या जैसे कुछ समूहों को विदेशी अधिनियम या भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के तहत अवैध आप्रवासी मानने की अनुमति है।

➢ **शरणार्थी कानून की आवश्यकता:**

- **दीर्घकालिक समाधान:** राष्ट्रीय शरणार्थी कानून धर्मार्थ दृष्टिकोण से अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित होगा, जो शरणार्थियों के आगमन के प्रबंधन के लिए एक व्यावहारिक दीर्घकालिक समाधान प्रदान करेगा।
- **मानवाधिकार अनुपालन:**यह एक राष्ट्रीय कानून शरणार्थी की स्थिति के निर्धारण को सुव्यवस्थित करेगा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप अधिकारों की गारंटी देगा।
- **सुरक्षा और निष्पक्ष व्यवहार:** राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर गैरकानूनी हिरासत या निर्वासन को रोकते हुए सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करना चाहिए।
- **असंगत व्यवहार:** श्रीलंका, तिब्बत, म्यांमार और अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को असंगत व्यवहार का सामना करना पड़ता है जिससे तिब्बती और श्रीलंकाई शरणार्थियों को मान्यता और सहायता दी जाती है, जबकि अन्य को नहीं दी जाती है।

➢ **वर्तमान कानूनी ढांचा:**

- **विदेशी अधिनियम, 1946:** यह केंद्र सरकार को अनधिकृत विदेशी नागरिकों को खोजने, गिरफ्तार करने और निर्वासित करने का अधिकार देता है।
- **भारतीय संविधान, अनुच्छेद 258(1):** पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 5 के अनुसार, गैरकानूनी विदेशियों को बलपूर्वक हटाने की अनुमति देता है।
- **विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939:** इसके तहत दीर्घकालिक वीज़ा पर आने वाले विदेशी नागरिकों को आगमन के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना आवश्यक है।
- **नागरिकता अधिनियम, 1955:** इसमें नागरिकता के त्याग, समाप्ति और वंचना के प्रावधान शामिल हैं।
- **नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (सीएए):** बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सताए गए प्रवासियों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है, जो हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी, सिख या बौद्ध हैं।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस

आज 7 अगस्त को, दिल्ली में 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है, जहाँ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हाथकरघा बुनकरों को संत कबीर पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगे। इसके साथ ही वे कैटलॉग और कॉफी टेबल बुक "परंपरा: भारत के हथकरघा परंपराओं में स्थिरता" और पुरस्कार सूची का विमोचन किया।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के बारे में:

- राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2015 से हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है।
- इस दिन की शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हथकरघा बुनकरों के योगदान का सम्मान करने और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए की थी।
- इस दिवस की जड़ें स्वदेशी आंदोलन में हैं, जो 7 अगस्त, 1905 को बंगाल के ब्रिटिश विभाजन के जवाब में शुरू हुआ था।
- राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 का विषय 'स्थायी भविष्य बुनना' है और यह टिकाऊ फैशन और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों के महत्व के इर्द-गिर्द घूमता है।
- 2023 का थीम "सतत फैशन के लिए हथकरघा" था, जिसमें मशीन से बने कपड़ों की तुलना में हथकरघा बुनाई की पर्यावरण के अनुकूल प्रकृति पर प्रकाश डाला गया था।
- हथकरघा ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया और इसका उपयोग भारतीय शिल्प और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किया गया।
- स्वदेशी आंदोलन के मूल्यों को प्रतीकात्मक रूप से 15 अगस्त, 1947 को दर्शाया गया था, जब जवाहरलाल नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता को चिह्नित करने के लिए हाथ से काता हुआ खादी झंडा फहराया था।

वामपंथी उग्रवाद

हाल ही में भारत के गृह मंत्री ने कहा कि केंद्रीय सरकार सफल मॉडलों को राज्य अपनाने के लिए तैयार है, परन्तु वामपंथी उग्रवाद (LWE) को नियंत्रित करने के लिए "कोई भी राज्य पश्चिम बंगाल मॉडल" को लागू करना पसंद नहीं करेगा"।

वामपंथी उग्रवाद के बारे में:

- विंग एक्सट्रीमिज्म (LWE), जिसे नक्सलवाद या माओवाद के रूप में भी जाना जाता है, एक राजनीतिक विचारधारा और सशस्त्र उग्रवाद आंदोलन है।
- इसका उद्देश्य मौजूदा सरकारों को उखाड़ फेंकने के माध्यम से कट्टरपंथी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना है।
- भारत में वामपंथी उग्रवाद आंदोलन की शुरुआत पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में 1967 के विद्रोह से हुई थी।
- ये समूह ग्रामीण गरीबी, सामाजिक असमानताओं और सरकारी सेवाओं तक सीमित पहुँच वाले क्षेत्रों में सक्रिय हैं।
- यह मध्य और पूर्वी भारत में केंद्रित हैं, जिन्हें अक्सर "लाल गलियारा" कहा जाता है।
- वे हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों और भूमि पुनर्वितरण की वकालत करते हैं।
- वामपंथी उग्रवाद समूह सशस्त्र विद्रोह, गुरिल्ला युद्ध और सुरक्षा बलों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमलों करते हैं।
- वे अक्सर जबरन वसूली, अपहरण और बाल सैनिकों सहित कैडरों की भर्ती का भी सहारा लेते हैं।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

7 August, 2024

कपास वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद

हाल ही में, कपास वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद ने बताया कि बांग्लादेश में संकट भारत के कपड़ा निर्यात को प्रभावित कर सकता है, जो पिछले वित्त वर्ष में 1.7 बिलियन डॉलर या कुल निर्यात का 17% था।

कपास वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के बारे में:

- कपास वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (TEXPROCIL) एक स्वायत्त, गैर-लाभकारी निकाय है।
- इसकी स्थापना 1954 में भारत से सूती वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- यह भारत के सूती वस्त्रों के वैश्विक चेहरे के रूप में कार्य करता है, जो दुनिया भर में निर्यात को सुविधाजनक बनाता है।
- यह कच्चे कपास, कपास और मिश्रित धागे, बुने हुए और बुने हुए कपड़े, घरेलू वस्त्र और तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देता है।
- परिषद में लगभग 3,000 कंपनियाँ शामिल हैं, जिनमें बड़ी एकीकृत मिलें और छोटी ग्रामीण इकाइयाँ शामिल हैं।
- यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आयोजन करता है।
- यह बाज़ार स्थिति और पूर्वानुमान भी प्रदान करता है और भारतीय निर्यातकों को गैर-टैरिफ़ बाधाओं और सब्सिडी-विरोधी जाँचों से बचाता है।

इसुनगुआटा सेर्मिया

हाल ही में, 9 जुलाई को, वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड में इसुनगुआटा सेर्मिया ग्लेशियर से मीथेन उत्सर्जन में वृद्धि देखी, जहाँ क्रायोकोनाइट पानी के अधिक पिघले का कारण बन रहा है।

इसुनगुआटा सेर्मिया के बारे में:

- इसुनगुआटा सेर्मिया (IS) पश्चिमी ग्रीनलैंड में एक ग्लेशियर बेसिन है जो ग्रीनलैंड आइस शीट के सबसे बड़े भूमि-समापन क्षेत्र में से एक है।
- यह बेसिन लगभग 450 किमी लंबा है और रसेल ग्लेशियर और के-ट्रांसेक्ट के ठीक उत्तर में स्थित है।
- इसके नीचे का बर्फ समुद्र तल से 200 से 300 मीटर नीचे है, जबकि शीर्ष 100 मीटर ऊपर है।

मीथेन:

- मीथेन (CH4) कार्बन और हाइड्रोजन से बनी एक रंगहीन, गंधहीन और अत्यधिक ज्वलनशील गैस है।
- यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है और जमीन के ऊपर और नीचे दोनों जगह पाया जाता है।
- मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देती है।
- जलवायु परिवर्तन पर 2021 के अंतर-सरकारी पैनल की रिपोर्ट के अनुसार, मीथेन सभी ग्रीनहाउस गैसों से कुल विकिरण बल के 20% योगदान के लिए जिम्मेदार है।
- मीथेन के कई उपयोग हैं, जिसमें गर्मी और प्रकाश के लिए ईंधन के रूप में और कार्बनिक रसायनों के उत्पादन में उपयोग शामिल है।

सुर्खियों में स्थल

फिजी

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, कम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया।

फिजी (राजधानी: सुवा)

स्थान: फिजी मेलानेशिया में एक द्वीप देश है, जो दक्षिण प्रशांत महासागर में ओशिनिया का हिस्सा है।

सीमाएँ:

फ़िजी दक्षिण प्रशांत महासागर (पूर्व, पश्चिम और दक्षिण), तुवालु और वालिस और फ़्यूचूना (उत्तर), न्यूज़ीलैंड (उत्तर-पूर्व) और टोंगा (उत्तर-पश्चिम) से घिरा हुआ है।

भौतिक विशेषताएँ:

- फ़िजी का सबसे ऊँचा स्थान माउंट टोमनिवी है, जिसे माउंट विक्टोरिया के नाम से भी जाना जाता है।
- फ़िजी की प्रमुख नदियों में रीवा, सिगाटोका, नबुकावेसी और वैदिना नदियाँ शामिल हैं।
- फ़िजी के खनिज संसाधनों में सोना, चाँदी, तांबा और चूना पत्थर शामिल हैं।

सदस्यता: फ़िजी कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है, जिनमें संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रमंडल राष्ट्र, प्रशांत द्वीप समूह फ़ोरम और विश्व व्यापार संगठन शामिल हैं।

भाषा: फ़िजी में बोली जाने वाली भाषाएँ अंग्रेज़ी (आधिकारिक), फ़िजी और हिंदी हैं।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

POINTS TO PONDER

- एस्ट्रा एमके-1 किस प्रकार की मिसाइल है? – **हवा से हवा में मार करने वाली दृश्य सीमा से परे (बीवीआर) मिसाइल**
- ग्लियोब्लास्टोमा क्या है? – **मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी के कैंसर का एक प्रकार**
- यामिनी कृष्णमूर्ति, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र में अपने काम के लिए जानी जाती थीं? – **शास्त्रीय नृत्य**
- पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? – **असम**
- हाल ही में कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? – **हरियाणा**